UPRVUNL

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 1455 /मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2010-43-मा0सं0 (04)/2008 दिनांक 2 दिसम्बर, 2010

1- **मुख्य अभियन्ता(स्तर-। एवं ।।),**
ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना/पी०पी०एम०एम०/तापीय परिचालन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।

2- **मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त),**
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
लखनऊ ।

विषयः- **उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों का दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप कतिपय मामलों में वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम होने की दशा में उत्पन्न वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण संरचना विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या: 320/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2010-43-मा0सं0 (04)/2008 दिनांक 28.02.2009 के प्रस्तर-8(02) में निहित प्राविधानों का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 को 01 वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान का अधिकतम वेतन स्तर पा रहे कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था दी गई है।

2. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किये जाने पर कतिपय ऐसे दृष्टान्त संज्ञान में लाये गये हैं, जिनमें ऐसे वरिष्ठ कार्मिक जिनकी प्रोन्नति दिनांक 01.01.2006 से पूर्व उच्च पदोन्नति के पद पर हुई, उन्हें तत्समय प्रभावी आदेशों के अन्तर्गत विस्तारित वेतन वृद्धि की अनुमन्यता साधारण(अपुनरीक्षित) वेतनमान में ही होने के कारण एवं साथ ही दिनांक 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान(अपुनरीक्षित वेतनमान) के अधिकतम वेतन स्तर पर बने न रहने के कारण उन्हें दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी दर से अनुमन्य करायी गई वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य नहीं हो सका है। इसके फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के अवसर पर वरिष्ठ का वेतन उनसे कनिष्ठ की तुलना में निम्न स्तर पर निर्धारित होना परिलक्षित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्मिकों के मध्य वेतन विसंगति उत्पन्न हो गयी है।

3. उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु प्रकरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं उनके निर्णय के अनुसार वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के समतुल्य निर्धारित करते हुए विसंगति की तिथि से वेतन समता प्रदान की जायेगी।

PM-3, Pragati
Pl. put on web
3/1/4

पृष्ट 2..........

4. उपर्युक्त निर्णय के अभीष्ट क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित नियुक्त अधिकारी उपरोक्तानुसार वेतन समता की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सक्षम होंगे। इस प्रकार वरिष्ठ एवं कनिष्ठ से सम्बन्धित वेतन समतुल्यता विषयक प्रकरणों में वेतन समतुल्यता दिये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही सम्बन्धित परियोजना लेखा कार्यालय/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यथास्थिति) की विधीक्षा/प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:–

I. **वरिष्ठ कार्मिक संवर्ग के प्रारम्भिक मूल पद के अन्तिम वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ से वरिष्ठ होना चाहिए।**

II. **कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कार्मिक को एक ही संवर्ग का ही होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह संवर्ग में समान पद होने चाहिए।**

III. **निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान(अपुनरीक्षित वेतनमान) तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिए।**

IV. **वरिष्ठ कार्मिक वर्तमान वेतनमान(अपुनरीक्षित वेतनमान) में दिनांक 01.01.2006 को कनिष्ठ कार्मिक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।**

V. **उपर्युक्त विसंगति सामान्य परिस्थितियों में मात्र कनिष्ठ कार्मिक को वरिष्ठ की तुलना में दिनांक 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान वेतनमान(अपुनरीक्षित वेतनमान) के अधिकतम वेतन स्तर पर बने रहने के कारण दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के कारण उत्पन्न हुई हो।**

5. आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(राम विशाल पाण्डेय)
उप महाप्रबन्धक(मा0सं0–04)

संख्या: 1455 (1)/मा0सं0(04) /उ0नि0लि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक(कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. मुख्य अभियन्ता, मानव संसाधन/ पर्यावरण एवं सुरक्षा / जानपद / वाणिज्य / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/ ईंधन, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. महाप्रबन्धक(सम्प्रेक्षा/लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, लखनऊ को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेवसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
7. सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

8. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, मा०सं०(01/02/03/04/05/06)/ चिकित्सा/रिफार्म/ टाण्डा वाइंडिंग सेल एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

9. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

10. उप मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)।

11. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी(वि०एवं ले०)/उप सचिव(01/06)/अनु सचिव(02)/अधिशासी अभियन्ता(03)/(अनुशासनिक कार्यवाही), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(राम विशाल पाण्डेय)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–04)